

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

04 02  
20

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी 300। वकील  
 वादीगण ने मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाये  
 जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध सामान्य  
 रिकार्ड, राजीनामा व जवाब तहसीलदार  
 खण्डेला का अवलोकन किया गया। चूंकि  
 विवादित आराजी का परिवारी सं. 1 रिकार्ड  
 खातेदार काश्तकार है, जिसने वकील विवादित  
 आराजी में वादी सं. 1 व 2 को बहिस्ता  
 करावर-करावर खातेदार काश्तकार घोषित  
 किये जाने हेतु राजीनामा भी पेश किया  
 है। किन्तु वादी सं. 1 व 2, परिवारी सं. 2,  
 परिवारी सं. 1 की सन्तति ही है। अतः  
 वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की  
 जाती है कि :-

अदेश

तन ग्राम कुलधाना प्र. ह. पुजारी का वास  
 तहसील खण्डेला है अर्थात् ख. नं. 73 रकबा  
 2.52 हे. का वादीगण सं. 1 को 1/4 हिस्सा  
 का, वादीगण सं. 2 को 1/4 हिस्सा का,  
 परिवारी सं. 1 को 1/4 हिस्सा का तथा परिवारी  
 सं. 2 को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

घोषित किया जाता है। इसी अनुसार  
राजस्व रिमांड में अमल दरामद हो। तद-  
नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौजदारी  
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद  
तकमील दाखिल पत्र हो। यह निर्णय आज  
दिनांक 04/02/2020 को खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

(रजिंद्र सिंह)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डला